ईगल फ्लास्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड

बनाम

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, पुणे

02 सितम्बर, 2004

(अरिजीत पसायत एवं पी.पी. नौलेकर, जे.जे.)

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944: नियम 174 एवं 174-ए, अध्याय शीर्षक 3924.90 व 2909.6 के अंतर्गत आने वाली प्लास्टिक की वस्तुएं, छूट अधिसूचना संख्या 53/88 दिनांक 01.03.1988 एवं 11/88 (NT)-CE दिनांक 15.04.1998 निर्धारित इसके तहत आवश्यक वर्गीकरण/घोषणा दाखिल नहीं कर रहा है। छूट अधिसूचना के लिए दावा धारित को छूट अधिसूचना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा। प्रासंगिक प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि जहां वस्तुओं पर शुल्क की शून्य दर लागू होती है या जहां संपूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है। निर्माता को एक घोषणा करने और निर्दिष्ट के रूप में वचन देने की आवश्यकता है, चूंकि घोषणा और वचन निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे, इसलिए न्यायाधिकरण यह अभिनिर्धारित करने में सही था कि आर.174 के संचालन से छूट उसके लिए उपलब्ध नहीं थी। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार, 1998 की सिविल अपील संख्या 4647

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के निर्णय एवं आदेश दिनांक 08.05.98 A. No. E/1009/1991-C में F.O. 1998-C का क्रमांक 364

अपीलकर्ता की ओर से मैसर्स गगराट एंड कंपनी, यू.ए. राणा, अरविंद कुमार, मधुप सिंघल एवं संदीप खरेल।

प्रतिवादी की ओर से अनूप चैधरी, रूपेश कुमार, पी. परमेश्वरन एवं बी. कृष्णाप्रसाद।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

अरिजीत पसायत, जेः

अपीलकर्ता CEGAT, के समक्ष अपील में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (संक्षेप में 'सीईजीएटी') द्वारा पारित आदेश की शुद्धता पर सवाल उठाते हैं। अपीलकर्ता ने 14,95,893 रुपये की शुल्क मांग को चुनौती दी थी और 5,000 रुपये का जुर्माना जैसा कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा लगाया गया है और कलेक्टर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क (अपील) द्वारा पुष्टि की गई है। सीईजीएटी ने अपील खारिज कर दी।

पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैंः अपीलार्थियों के अनुसार वे प्लास्टिक के सामान यानी प्लास्टिक इंसुलेटेड सामान और वैक्यूम फ्लास्क के निर्माण में लगे हुए हैं। उनके दो कारखाने थे, एक तालेगांव में और दूसरा चिंचवड़ में। पहले वाले को मुख्य कारखाना माना जाता था। यह दावा

किया गया था कि विवाद की अवधि के दौरान, यानि 01.03.1990 से 21.08.1990 तक, मूल्य के संदर्भ में उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के प्रमुख हिस्से को केंद्र के नियम 174-ए के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क लाइसेंसिंग नियंत्रण से छूट दी गई थी। प्रासंगिक अवधि के दौरान केंद्रीय उत्पाद नियम 1944 (संक्षेप में 'नियम)। चूंकि सभी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है कारखाने को शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई थी, उत्पादन का केवल एक छोटा सा हिस्सा चिंचवड़ कारखाने में किया गया था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 28.08.1990 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उनसे यह बताने की मांग की गई थी कि अध्याय शीर्षकों के अंतर्गत आने वाले उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक एल-4 लाइसेंस लेने में विफलता के लिए शुल्क क्यों नहीं लगाया जाएगा और जुर्माना क्यों लगाया जाएगा। क्रमांक 3924.90 (कैसरोल) और 3909.60 (कठोर पॉलीयुरेथेन फोन) प्रासंगिक अवधि के दौरान आते हैं और उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं की सूची दाखिल करने में विफलता के लिए। यह आरोप लगाया गया था कि शुल्क देयता निर्धारित करने में विफलता हुई थी और यह भी कि उन्होंने उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का लेखा-जोखा नहीं रखा था। उन्हें यह बताने के लिए बुलाया गया था कि ड्यूटी की मांग क्यों नहीं की जानी चाहिए और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (संक्षेप में 'अधिनियम') के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। अपीलार्थियों ने यह रूख अपनाया कि चूंकि निर्मित उत्पादों पर शुल्क की

दर शून्य थी और चूंकि उन्हें अधिसूचना 11/88 (NT)-CE दिनांक 15.04.1998 के तहत लाइसेंसिंग नियंत्रण एल-4 लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एफ की ओर से कोई दायित्व या आवश्यकता नहीं थी, इसलिए भी छूट दी गई थी। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक दिनांक दिनांक 04.04.1990 के पत्र द्वारा उपरोक्त पहलुओं के बारे में सूचित किया गया था। जहां तक कठोर पा ॅलीयुरेथेन फोम का सवाल है, अपीलार्थियों ने दावा किया कि उक्त वस्तु गैर उत्पाद शुल्क योग्य थी, जैसा कि निर्धारिती के अपने मामले में पहले की अवधि के लिए आयोजित किया गया था। जहां तक चिंचवड़ में माल के निर्माण का संबंध है अपीलार्थियों ने यह रूख अपनाया कि उक्त कारखाना उनकी एक सहायक इकाई थी और माल के निर्माण के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों की आपूर्ति मुख्य कारखाने द्वारा की जाती थी और बिक्री भी मुख्य कारखाने से होती थी। निर्णायक अधिकारी ने माना कि केवल इसलिए कि कुछ अधिसूचना के तहत छूट दी गई थी, इससे उत्पाद गैर- एच उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु नहीं बन जाता, भले ही वह वस्तु पूरी तरह से छूट प्राप्त हो। इसलिए अपीलार्थियों के लिए चिंचवड़ कारखाने में सामान बनाने से पहले अपेक्षित प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य है। इस दावे के संबंध में कि अपीलार्थियों को अधिसूचना संख्या 11/88 (NT)-CE दिनांक 15.04.1998 द्वारा कवर किया गया था। निर्णायक अधिकारी ने पाया कि अपीलार्थियों ने अधिसूचना में निहित आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया था। उन्होंने यह भी पाया कि अपीलार्थियों ने मैसर्स के परिसर में विनिर्माण शुरू कर

दिया था। शीर्ष प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड ने 21.08.1990 को अपना लाइसेंस रद्द करने के लिए आवेदन किया था। उन्होंने यह भी कहा कि अपीलकर्ताओं ने 28.03.1990 को ही एल-4 लाइसेंस प्राप्त किया था। चूंकि उन्होंने अधिसूचना संख्या 11/88 के तहत निर्धारित घोषणा दाखिल नहीं की है, इसलिए उन्हें नियमों के नियम 174 के संचालन से छूट नहीं दी गई है। यह भी माना गया कि अपीलार्थियों ने अपेक्षित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना विनिर्माण गतिविधियों को अंजाम दिया था और इसलिए वे अधिसूचना 53/88 दिनांक 01.03.1988 के तहत छूट के हकदार नहीं थे। शुल्क की मांग की पुष्टि की गई और जुर्माना लगाया गया। अपील में कलेक्टर (अपील) ने आदेश की पुष्टि की, उन्होंने पाया कि अपीलार्थियों द्वारा निर्मित दोनों प्रकार के उत्पाद, उत्पाद शुल्क योग्य थे। सीईजीएटी के समक्ष, यह तर्क दिया गया कि जहां तक कैसरोल का संबंध है, छूट अधिसूचना 53/88 दिनांक 01.03.1998 ने स्पष्ट रूप से उक्त वस्तु की छूट की अनुमति दी है। वर्तमान अपीलार्थियों मैसर्स द्वारा कोई वर्गीकरण/घोषणा नहीं। ईगल फ्लास्क इंडस्ट्रीज को दायर करना आवश्यक था, क्योंकि चिंचवड़ कारखाने का प्रबंधन जहां कैसरोल का निर्माण किया जा रहा था, मैसर्स के अधीन था। शीर्ष प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हालांकि शुरुआत में एल-4 लाइसेंस लिया गया था, बाद में रद्द करने का अनुरोध किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि अधिसूचना 11/88 के तहत घोषणा को दाखिल न करना, अधिक से अधिक

एक प्रक्रियात्मक चूक थी और इसके परिणामस्वरूप पर्याप्त कर देयता नहीं होनी चाहिए थी।

सीईजीएटी के समक्ष प्रतिवादी ने न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेशों का समर्थन किया, जैसा कि अपीलीय प्राधिकारी ने पुष्टि की है। सीईजीएटी, तथ्यात्मक स्थिति के विश्लेषण पर, एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जिस पर अपीलार्थियों द्वारा कोई विवाद नहीं किया गया था कि वे अधिसूचना 11/88 के तहत घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता का पालन करने में विफल रहे थे। ऐसा होने पर, विभागीय अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि की गई।

अपील के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जब वस्तुओं को शुल्क से छूट दी गई थी तो लाइसेंसिंग नियंत्रण से परिणामी छूट थी। किसी भी घटना में, अधिसूचना 11/88 के संदर्भ में घाषणा प्रस्तुत न करने मात्र से निर्धारिती को अधिसूचना के तहत अन्य उपलब्ध लाभों से वंचित नहीं किया जाता है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने सीईजीएटी के फैसले का समर्थन किया।

हमने पाया कि अधिसूचना 11/88 छूट प्राप्त वस्तुओं को नियम 174 के संचालन से छूट से संबंधित है। अधिसूचना नियमों के नियम 174-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई है। अन्य बातों के साथ-साथ इसमें कहा गया है कि जहां माल पर शुल्क की दर शून्य है या

उस पर लगने वाले संपूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है, वहां माल को नियमों के नियम 174 के संचालन से छूट दी गई है। सामान केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'टैरिफ अधिनियम') की अनुसूची में निर्दिष्ट है। प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि जहां वस्तुओं पर शुल्क की शून्य दर लागू होती है, जहां लगाए जाने वाले संपूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट छह श्रेणियों में से किसी एक पर दी जाती है, निर्माता को एक घोषणा करनी होगी और एक वचन देना होगा। जैसा कि इस अधिसूचना के तहत पहली बार छूट का दावा करते समय और उसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल के 15 वें दिन से पहले संलग्नक में निर्दिष्ट किया गया है। जैसा कि सीईजीएटी सहित नीचे दिए गए मंचों द्वारा पाया गया, तथ्यात्मक रूप से, घोषणा और वचन पत्र अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे। यह कोई कोरी औपचारिकता नहीं है, यह अधिसूचना के तहत लाभ प्राप्त करने का आधार है। यह नहीं कहा जा सकता है कि वे केवल प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं हैं, जिनका पालन न करने पर कोई परिणाम नहीं जुड़ा है। इसके परिणाम अधिसूचना के तहत लाभ से वंचित होना है। छूट अधिसूचना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए शर्तों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इसलिए, सीईजीएटी ने इस विचार का समर्थन किया कि नियम 174 के संचालन से छूट अपीलार्थियों को उपलब्ध नहीं थी। पाए गए तथ्यों पर दृश्य टेरा फर्मा पर है। हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं, इसलिए इसे तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

याचिका खारिज कर दी गई।

आर.पी.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नवीन मीणा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।